न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. हकीमों पत्नी श्री लालदीन		1. तहसीलदार बाप
2. हासमदीन पुत्र लालदीन		
3. रईस पुत्र श्री लालदीन		

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

मुकदमा नम्बर :– 142/2018

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा वादीगण एवं अप्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :– 13/2/2020

निर्णय

वादीगण के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादीगण की खातेदारी की खसरा नंबर 347 कुल रकबा में से 100.00 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद मौजा नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट और सेटलमेंट से पहले से ही वादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादीगण के पूर्वज मजदूरी करने हेतु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 347 कुल रकबा में से 100 बीघा भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढियों से चला आ रहा था उन्होनें अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बनाये थे। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादीगण ने उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों और खुंटे रोप कर तारबंदी की हुई है। वादीगण उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है। जिसमें वादीगण को हर वर्ष समय–समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है तथा वादीगण का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षो तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादीगण को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादीगण द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होने से तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न कर सीधे बहस की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.06.09 13:44:15 IST
Reason: SelfAttested
Location:

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का अध्ययन किया गया। बाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादीगण द्वारा राजकीय सिवाय चक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी तहसीलदार बाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादीगण) अतिक्रमी है तथा वादीगण अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गलत है। अप्रार्थी का वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय के विनम्र मत में सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चो तथा अनेक क्रियाओं के परिचालन से होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद को खारिज किया जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त प्रकरण में वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोपित तथा दस्तावेजी दस्तावेज के अभाव में बिनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावाली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 13/3/2020 को सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप जोधपुर